मध्यप्रदेश शासन

मुख्य सचिव कार्यालय

[illegible]

वल्लभ भवन, [illegible]-462004

...

क्रमांक 365/मु·स·/2000 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2000

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्य प्रदेश·

विषयः- वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण की रोकथाम।

...

प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा वनों से आच्छादित है, जो पूरे देश के वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत है। विगत् कुछ वर्षों के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में लगभग 635 वर्ग कि·मी· क्षेत्र की वृद्धि हुई है, किन्तु अभी भी लगभग 60 लाख हैक्टर क्षेत्र बिगड़े वनों की श्रेणी में है। वनों के संरक्षण एवं बिगड़े वनों के सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि मध्यप्रदेश, हरित प्रदेश के नाम से जाना जाए।

वनों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वन क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं होने पाये तथा अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल किया जाए। ऐसी अपेक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका क्रमांक 202/95 टी· गोदावर्मन विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दायर विभिन्न अन्तरिम याचिकाओं एवं जवाबदावों में राज्य शासन से की जाती है।

इस दिशा में कलेक्टर स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही की जाएः-

§1§ कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन किया जाए, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी को सम्मिलित किया जाए। यह समिति वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण के मामलों की प्रतिमाह समीक्षा करेगी तथा अतिक्रमणों एवं अवैध कटाई के प्रयासों को रोकने के लिए कार्य-योजना तैयार कर समन्वित प्रयासों से उसका क्रियान्वयन करेगी।

§2§ प्रदेश में वन समितियों के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन समितियों को और अधिक जागरूक एवं सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि इनके

··निरंतर··

सहयोग से वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को वहां से हटाकर उन्हें अन्य रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

(3) सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे जब भी भ्रमण पर जायें, तब वे स्थानीय लोगों को वनों के महत्व एवं वनों के संरक्षण के सम्बन्ध में समझायें, ताकि वन संरक्षण की दिशा में वे जागरूक होकर सार्थक पहल कर सकें।

(4) वनों में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को शासकीय अनुष्ठान/सहायता देने में हतोत्साहित किया जाए।

(के.एस.शर्मा)
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

पृष्ठांक. 366 /मुस/2000 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2000

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश.

मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन